उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(यूपीडा)

बोर्ड की 86वीं बैठक की कार्यवृत्त।

दिनांक 14.09.2023

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सी-13, पर्यटन भवन, द्वितीय तल, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010
☎ 0522 2307592, 2307542 4004523 फैक्स: 0522 4013500

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.09.2023 को सम्पन्न हुई 86वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री मनोज कुमार सिंह, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव
2. श्री श्रीहरि प्रताप शाही, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा –सहायक सदस्य/सचिव
3. श्री पीयूष वर्मा, विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग –सदस्य
4. श्री सुनील कुमार सिंह, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन) –सदस्य
5. श्री अरूण सिन्हा, संयुक्त सचिव, कोषागार एवं पेंशन लखनऊ, मण्डल (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग) –सदस्य
6. श्री जे०पी० सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण, उ०प्र० शासन (प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग) –सदस्य

विशेष आमंत्री:–

1. श्री विश्वजीत राय, उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
2. श्री आर०आर० सिंह, वरिष्ठ मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
3. श्री सत्येन्द्र कुमार श्रीवास्तव, मुख्य महाप्रबन्धक (सिविल), यूपीडा।
4. श्री सलिल कुमार यादव, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
5. श्री विनय प्रकाश, मुख्य महाप्रबन्धक, यूपीडा।
6. श्री के०के० सिंह बिसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
7. श्री डी०पी० सिंह, स्टाफ आफिसर अध्यक्ष एवं विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों का 86वीं निदेशक मण्डल की बैठक में स्वागत किया गया एवं सदस्यों की अनुमति से एजेण्डा नोट पर बिन्दुवार चर्चा प्रारम्भ की गई:—

एजेण्डा बिन्दु—01:— उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 02.08.2023 को सम्पन्न हुई 85वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि हेतु उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निदेशक मण्डल से अनुरोध किया गया।

निदेशक मण्डल की सम्पन्न हुई 85वीं बैठक के कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु—02:— उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 02.08.2023 को सम्पन्न हुई 85वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बिन्दुवार निदेशक मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।

निदेशक मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 02.08.2023 को सम्पन्न हुई 85वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णयों के सम्बन्ध में प्रस्तुत अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, अनुपालन से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु—03:— पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे पर ऋणात्मक चेन्ज ऑफ स्कोप के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का अनुमोदनः—

इस एजेण्डा बिन्दु के अन्तर्गत 3 प्रकार के ऋणात्मक चेंज ऑफ स्कोप के अनुमोदन प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत किये गये:

1- Due to alteration in specification as defined in schedule for Slope Protection work by Boulder Pitching- 8 नम्बर कार्य
2- Decrease in height of MNB SR at 125+213 (LHS & RHS) -1 नम्बर कार्य
3- Negative Change of Scope for 22 Nos. Flexible Apron of Service Road Box Culvert-1 नम्बर कार्य
4- Negative Change of Scope due to reconciliation of quantities for service road (3.75m and 7.00m), Toe wall/Retaining Wall and Lined Drain- 1 नम्बर कार्य

क्रमांक 3 पर अंकित कार्य के प्रस्तावना में अवगत कराया गया कि 228 स्थानों पर Flexible Apron प्रस्तावित की गयी थी जिनमें से 200 का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष 22 के लिये Negative Change of Scope प्रस्तावित किया गया है। निदेशक मण्डल द्वारा इस कथन में त्रुटि की आशंका व्यक्त की गयी।

मुख्य अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि यह टंकण त्रुटि है वास्तविक नम्बर निम्नवत् है:

Flexible Apron प्रस्तावित कुल नम्बर 226
निर्मित किये गये Flexible Apron 204
ऋणात्मक चेंज ऑफ स्कोप के लिये प्रस्तावित कुल नम्बर 22

उपरोक्त से अवगत होते हुये निदेशक मण्डल द्वारा उपरोक्तानुसार बिन्दु 1 से 4 के सभी ऋणात्मक चेंज ऑफ स्कोप के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु—04:— **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे में दिये गये Change of Scope (COS) के अन्तर्गत कार्यो का गठित कमेटी द्वारा संस्तुति किये गये 29 प्राक्कलनों के अनुमोदन हेतु।**

निदेशक मण्डल द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे में दिये गये Change of Scope (COS) के अन्तर्गत कार्यो का गठित कमेटी द्वारा संस्तुति किये गये 29 प्राक्कलनों के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु—05:— **गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में चेन्ज ऑफ स्कोप (COS) के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु—06:— **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अथॉरिटी इंजीनियर—II के Resident Engineer के स्थान पर अवशेष 41.5 माह की अवधि तक टीम लीडर की सेवायें Discounted Rate पर लिये जाने एवं Quantity Surveyor तथा Lab Technician की सेवायें 24 माह के स्थान पर 60 माह (परियोजना की समाप्ति तिथि दिनांक 15.12.2026 तक) किये जाने का अनुमोदन।**

निदेशक मण्डल द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अथॉरिटी इंजीनियर—II के Resident Engineer के स्थान पर अवशेष 41.5 माह की अवधि तक टीम लीडर की सेवायें Discounted Rate पर लिये जाने एवं Quantity Surveyor तथा Lab Technician की सेवायें 24 माह के स्थान पर 60 माह (परियोजना की समाप्ति तिथि दिनांक 15.12.2026 तक) किये जाने के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु—07:— **यूपीडा निदेशक मण्डल के पुर्नगठन अधिसूचना विषयक।**

यूपीडा प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—06 सन् 1976) की धारा—03 के अधीन अधिसूचना संख्या—4246/77—4—07—94 भा/07 टी0सी0 दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 द्वारा किया गया था, जिसमें क्रमशः अधिसूचना दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2023 द्वारा संशोधन किये गये थे। पुनः दिनांक 13 जुलाई, 2023 अधिसूचना संख्या—30/2023/1076/77—3099/73/2023 द्वारा पुनः निम्नवत् संशोधन किया गया है:—

क	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
ख	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सदस्य/सचिव
ग	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन या उसका नामनिर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का न हो।	सदस्य
घ	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन या उसका नामनिर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का न हो।	सदस्य
ड	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन या उसका नामनिर्देशिनी, जो संयुक्त सचिव से निम्न रैंक का न हो।	सदस्य
च	सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन	सदस्य
छ	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर	सदस्य
ज	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण	सहायक सदस्य—सचिव

उक्त द्वारा सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण के निदेशक मण्डल का सदस्य नामित किया गया है, पर सभी सदस्यों को अवगत कराया गया।

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त शासन द्वारा यूपीडा के निदेशक मण्डल के पुर्नगठन की अधिसूचना का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया एवं नई संरचना को स्वीकार किया गया।

एजेण्डा बिन्दु–08:– यूपीडा में आउटसोर्स पर तैनात अनुसेवक को डाक लगाने में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमोदन।

निदेशक मण्डल द्वारा "यूपीडा में आउटसोर्स पर तैनात अनुसेवक जिससे डाक लगाने का कार्य लिया जा रहा है।" यूपीडा मुख्यालय की आवश्यक/महत्वपूर्ण स्थानीय डाक लगाने में होने वाले व्यय के रूप में अधिकतम रू. 3,000/– की सीमा के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति किये जाने की कार्योत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुये प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01:– अधिष्ठान एवं प्रशासन से सम्बन्धित कार्यों का अनुमोदन।

अधिष्ठान के प्रस्ताव पर चर्चा करते हुये अतिरिक्त एजेण्डा बिन्दु–01 के उप बिन्दु–01, 02, 03, व 04 का निदेशक मण्डल द्वारा संज्ञान लिया गया तथा कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अंत में उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक का समापन किया गया।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.09.2023 को सम्पन्न हुई 86वीं बोर्ड बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं अध्यक्ष यूपीडा निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 20.09.2023 को अनुमोदित किये गये हैं।

(श्रीहरि प्रताप शाही)
आई0ए0एस0
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं
सहायक सदस्य–सचिव, यूपीडा निदेशक मण्डल